न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,त्वरित न्यायालय ,कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।
उपस्थितः श्री अलख कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP3826

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–218/2026
वजीर आलम बनाम राज्य
UPMH010032102026

27.07.2026

1. प्रार्थी/आवेदक **वजीर आलम** पुत्र मिनहाज निवासी नटवा, थाना कोतवाली, जिला महराजगंज की ओर से प्रार्थना पत्र 5ख दिनांकित 13.07.2026 मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि "प्रार्थी माननीय न्यायालय में विदेश जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2025 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय में धारा 528 BNSS के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 40721/2025 दाखिल किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 09.07.2026 को स्वीकार कर विदेश जाने की अनुमति प्रदान किया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2026 के अनुपालन में दृष्टिगत रखते हुए विदेश जाने हेतु अनुमति प्रदान करें।" प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 09.07.2026 एवं पासपोर्ट जिसका नंबर– V0352148 की छायाप्रति दाखिल किया है।

2. प्रार्थी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र 3क दिनांकित 14.07.2026 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि "प्रार्थी पूर्व में जमानत पर रहा है तथा मुकदमे की पैरवी करता रहा है। पत्रावली साक्ष्य की कार्यवाही में चल रही है। पत्रावली में प्रार्थी के अलावा उसके परिवार के लोग भी शामिल है। प्रार्थी को विचारण के लिये माननीय न्यायालय जब बुलायेगी तो प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होगा। प्रार्थी के छोटे–छोटे बच्चे है और वह पूर्व से ही सउदी अरब में कार्य करता रहा है। बच्चों के भरण पोषण के लिये प्रार्थी कार्य करने हेतु सउदी अरब जाना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को सउदी अरब जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

3. उपरोक्त दोनों प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को तथा विद्वान् सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह पता चलता है कि अभियुक्त वजीर आलम मुकदमा अपराध संख्या–283/2021 में नामित है। दिनांक 06.03.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–02, महराजगंज के द्वारा अभियुक्त को जमानत प्रदान किया गया एवं अपने आदेश में इस शर्त का उल्लेख किया गया कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत की सीमाओं से परे नहीं जायेगा। प्रार्थी के कथनानुसार उसने इस सम्बन्ध में पूर्व में विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, महराजगंज के समक्ष एक प्रार्थनापत्र दिया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2025 को निरस्त कर दिया गया था। उस आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में धारा 528 BNSS के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 40721/2025 दाखिल किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश

दिनांकित 09.07.2026 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः प्रार्थनापत्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **नोटिफिकेशन दिनांकित 25.08.1993** एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) AIR SC 597** में पारित निर्णय के आलोक में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने का आदेश दिया गया है।

5. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, महराजगंज के आदेश दिनांक 05.05.2025 के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रस्तुत मामले में कुल 12 गवाहों को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया जाना है। वर्तमान समय में अभियोजन द्वारा किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। **धारा–355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच व विचारण किये जाने के लिए उपबन्ध करती है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल पासपोर्ट संख्या–V0352148 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से यह पता चलता है कि उक्त पासपोर्ट दिनांक 27.09.2030 तक की अवधि तक के लिये मान्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि उसके छोटे छोटे बच्चे है और वह पूर्व से ही सउदी अरब में कार्य करता रहा है। बच्चों के भरण पोषण के लिये उसे कार्य करने हेतु सउदी अरब जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को विचारण के लिये माननीय न्यायालय जब बुलायेगी तो प्रार्थी माननीय न्यायालय में उपस्थित होगा। चूंकि इस पत्रावली में साक्ष्य की कार्यवाही शेष है। अभियुक्त जमानत पर है। साक्ष्य की कार्यवाही अभियुक्त की अनुपस्थिति में जरिये अधिवक्ता कराये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थी/आवेदक **वजीर आलम** पुत्र मिनहाज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3 क एवं 5 ख माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 6 माह के लिये सउदी अरब रोजी रोटी वास्ते जाने के लिये अनुमति प्रदान किया जाता है। उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होगा।

दिनांकः27.07.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.08.01 15:12:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court